अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0सं0–निग / सारा– (उ०वि०भ०)मुक०–01 / 19 पटना, दिनांक :– 4/7/19

कार्यालय आदेश - 141

श्री मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवा से बर्खास्त द्वारा भवन प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र भवन निर्मली एवं भरौना की विशेष मरम्मति कार्य हेतु दिनांक–30.03.2004 को क्रमशः ₹1,50,000 / – एवं ₹1,50,000 / – अग्रिम सहायक अभियंता से प्राप्त कर डेढ़ वर्ष से अपने पास रखकर इनके द्वारा राशि गबन करने, कार्य स्थल पर कोई कार्य नहीं कराने एवं कार्य से संबंधित कोई लेखा एवं मापी प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित नहीं करने के मामले में लोकायुक्त कार्यालय का पत्रांक–1259 लोका दिनांक–26.05.2006 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–219 सहपठित ज्ञापांक–10104(S) दिनांक–29.08.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2 इस मामले में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–27 सहपठित ज्ञापांक–477(E) दिनांक–31.01.2008 द्वारा इनकों तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त का दंड संसूचित किया गया।

3. उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री रंजन द्वारा दिनांक–25.02.2008 को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन को विभागीय समीक्षोंपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–183 सहपठित ज्ञापांक–6582(S) दिनांक–19.06.2009 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री रंजन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.J.C No.- 13984/2008 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में दिनांक–27.06.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–27 सहपठित ज्ञापांक–477(E) दिनांक–31.01.2008 एवं कार्यालय आदेश संख्या–183 सहपठित ज्ञापांक–6582(S) दिनांक–19.06.2009 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता के प्राप्त परामर्श के आलोक में L.P.A No.-371/2019 दायर किया गया है।

5. इसी बीच मननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C No.-13984/2008 में दिनांक–27.06.2018 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण श्री रंजन द्वारा M.J.C. No.-4713/2018 दायर किया गया जिसमें दिनांक–27.02.2019 को पारित न्यायादेश के तहत उक्त C.W.J.C में पारित न्यायादेश का अनुपालन किये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक–11.04.2019 को उक्त M.J.C में अभियंता प्रमुख की उपस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक सप्ताह में अनुपालन का आदेश दिया गया।

6. C.W.J.C No.- 13984/2008 मनोज कुमार रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–27.06.2018 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–93

सहपठित ज्ञापांक–3033 दिनांक–15.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–27 सहपठित ज्ञापांक–477(E) दिनांक–31.01.2008 एवं कार्यालय आदेश संख्या–183 सहपठित ज्ञापांक–6582(S) दिनांक–19.06.2009 को निरस्त किया गया है। इसके फलस्वरूप श्री मनोज कुमार रंजन को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया है। साथ ही उक्त विभागीय कार्यालय आदेश में C.W.J.C No.-13984/2008 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर L.P.A No.- 371/2019 में पारित होने वाले न्याय निर्णय से प्रभावित होगा का आदेश संसूचित है।

7. उक्त L.P.A No.-371/2019 में दिनांक–12.04.2019 को पारित न्यायादेश का मुख्य क्रियाशील अंश निम्नवत है।

"Having considered the submissions raised, we find that the conclusion drawn by the learned single judge does not suffer from any infirmity insofar as the procedural lapses are concerned. The oral enquiry or even the production of the original documents or receipt was necessary in order to establish as to whether the appellant had actually received the amount before arriving at the conclusion of its misappropriation. The recommendation made by the Lokayukta had to be examined in the regular enquiry proceedings which, in our opinion, does not appear to have been done by leading appropriate evidence.

It is, therefore, clear that in the absence of any such evidenc having been led and the oral evidence having not been adduced, the learned single judge was justified in quashing the inpugned orders. We are, therefore, not inclined to interfere with the same.

The appeal lacks merit and is, accordingly, rejected without prejudice to the appellant state to initiate proceedings afresh from the stage of submission of charge-sheet and leading of evidence."

8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A No.-371/2019 में दिनांक–12.04.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–107 सह–पठित ज्ञापांक–3433(E) दिनांक–03.05.2019 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

(i) श्री मनोज कुमार रंजन, कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र गठन के स्तर से नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाएगा।

(ii) श्री मनोज कुमार रंजन को देय अनुमान्य परवर्ती लाभ का भुगतान नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना से आवश्यक परामर्श प्राप्त करते हुए किया जाएगा।

9. M.J.C. No.-4713/2018 में दिनांक–08.05.2019 एवं दिनांक–03.07.2019 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री मनोज कुमार रंजन, कनीय अभियंता को बर्खास्तगी की तिथि 31.01.2008 से बर्खास्तगी वापस लिये जाने की तिथि 15.04.2019 की अवधि का वेतन भुगतान का निदेश दिया गया है।

10. अतः M.J.C. No.-4713/2018 में दिनांक–08.05.2019 एवं दिनांक–03.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मनोज कुमार रंजन, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के बर्खास्तगी की तिथि 31.01.2008 से दंडादेश वापस लिये जाने की तिथि 15.04.2019 के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनयमित करते हुए उनके वेतनादि के भुगतान का आदेश दिया जाता हैं।

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5127(E) पटना, दिनांक :– 4/7/19

निबंधित

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0 5127(E) पटना, दिनांक :– 4/7/19

निबंधित

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग /ग्रामीण विकास विभाग/ विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता सभी उपभाग/सभी अधीक्षण अभियंता सभी उपभाग/ अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–3 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना प्रशाखा

पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14 एवं श्री मनोज कुमार रंजन, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5127(E) पटना, दिनांक :– 4/7/19

प्रतिलिपि :– ए०ए०जी० संख्या–11 को सूचनार्थ समर्पित।

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5127(E) पटना, दिनांक :– 4/7/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।